# मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या-२२०/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं.३६९/२०१५)
श्रीमती विद्यावती आदि बनाम अमित कुमार केरकेट्टा आदि

**<u>१०.०७.२०२१</u>**

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती विद्यावती एवं शिव कुमार द्वारा इस आशय से दाखिल किया गया है कि उपरोक्त याचिका में दिनाँक १८.०९.२०१९ को निर्णय हो चुका है, जिसके अनुसार विपक्षी सं. ५ बीमा कम्पनी को ₹२,७१,००० मय ब्याज जमा करने थे। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा ₹३,४५,२७९ न्यायाधिकरण में जमा किये गये थे, जिस धनराशि को प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के आदेश से प्राप्त कर चुके हैं। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एफ.एफ.ए.एफ.ओ. नं. ९३७/ २०२० प्रस्तुत की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनाँकित १०.०७.२०२० के माध्यम से अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये कुल प्रतिकर की धनराशि ₹६,६२,६८० मय ७ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त प्रतिकर की राशि में याचीगण के द्वारा प्राप्त की गई धनराशि समायोजित की जानी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुल ₹३,९१,६८० प्रतिकर धनराशि की बढ़ोत्तरी की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा ₹५,२२,९३३ प्रतिकर की धनराशि न्यायाधिकरण में जमा कर दी है, जिसे दिलाए जाने हेतु प्रार्थीगण ने याचना की है। प्रार्थीगण ने समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती विद्यावती का शपथ पत्र ५सी२, बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि जमा करने के प्रार्थना पर धनराशि जमा करने की २ किता चेकों की छाया प्रतियाँ, माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एफ.ए.एफ.ओ. की छाया प्रति व अपने-अपने आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक के खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया विद्यावती ने अपने शपथपत्र ५सी२ में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है, तथा यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनाँकित १०.०७.२०२० के विरूद्ध माननीय उच्चतम् न्यायालय मे न तो कोई मामला विचाराधीन है और न ही शपथकर्ती की जानकारी में उक्त आदेश के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। कार्यालय द्वारा आख्या दी गयी है, कि चेक रजिस्टर के अनुसार चेक सं. ०८१७२७ से ₹३,९१,६८० व चेक सं. ०८१८९९ से ₹ १,३१,२५३ (कुल ५,२२,९३३) सिंडीकेट बैंक गोविन्द चौराहा झाँसी में जमा होने का इन्द्राज है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार प्रार्थी सं.१ श्रीमती विद्यावती के नाम ₹४,००,००० क्षतिपूर्ति की धनराशि उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिये पोस्ट ऑफिस में मासिक आय योजना में निवेशित की जानी है तथा ₹६२,६८० याची सं. १ को नकद प्रदान की जानी है तथा अवशेष क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹२,००,००० याची सं. २ शिव कुमार के नाम पोस्ट ऑफिस में मासिक आय योजना के अन्तर्गत निवेशित की जानी है जिसके ब्याज की धनराशि याची सं. २ उपयोग करेगा।

चूँकि याचीगणें ने ट्रब्युनल द्वारा एवार्ड की गई धनराशि को ट्रब्युनल के आदेश पर पूर्व मे प्राप्त कर लिया है जिसमे ₹२,०३,८५४ सावधि जमा मे निवेशित किए जा चुके हैं अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ट्रब्युनल द्वारा एवार्ड की गई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गयी धनराशि का एकसाथ वितरण अब संभव नही है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उपलब्ध धनराशि को अनुपातिक रूप मे वितरित किया जा रहा है-

**ORDER**

**Canara Bank** is ordered to disburse according to following sheet-

| **Applicant/ Petitioner** | **Share(%)** | **Annuity/Cash(%)** | **Distributed Amount** | **+(% of) Interest Accrued on Deposited Amount** | **Mode of Disbursement** | **Bank Account Number** | **Bank** | **IFS Code** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Smt. Vidhyawati | 70 | 85 | **₹311,145.14** | **59.5** | Monthly Income Scheme | | Indian Post Office | |
| 1. Smt. Vidhyawati | | 15 | **₹54,907.97** | **10.5** | Electronic Mode | 92352010008710 | Canara Bank, Govind Chouraha Jhansi | CNRB0019235 |
| 2. Shiv Kumar | 30 | 100 | **₹156,879.90** | **30** | Monthly Income Scheme | | Indian Post Office | |
| | 100 | | ₹522,933.00 | 100 | | | | |
| TOTAL | | | **522933** | | | | | |
| Figures may be rounded of by the bank | | | | | | | | |
| | | | | | | | Presiding Officer | |
| Date:10.07.2021 | | | | | | Motor Accident Claim Tribunal Jhansi | | |

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

***29.07.2021***
***Since Indian Post Office accepts monthly income scheme in denominations of Rs. 1000 hence Rs. 145.14 of Vidyawati Rs. 879.90 of Shiv Kumar shall be added to the amount Rs. 54907.97 of Vidyavati. Bank to pay accordingly.***

***PO***
***MACT, Jhansi***
***29.07.2021***

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 13:50:17 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.29 15:20:39 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI